न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 03 सन 2019

अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार रामकुमार, मोमनराम, घडसीराम पि0 कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. दुनीराम ओमप्रकाश सुखराम पि0 हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– पैरोकार राज

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 02/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पेरोकार राज नें प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86 के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86 की कुल 7.0840हैक्ट अप्रार्थीगण के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में से बिना अनुमति के पेड काट कर बेचान कर दिये गये है मौक पर जांच करने पर पेड काटने के निशान पाये गये है अतः अप्रार्थीगण ने बिना अनुमति के हरे वृक्षों को काटा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 की अवहेलना की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावे।

पेरोकार राज का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित जबाब का मौका दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही किया तथा निवेदन किया की वह जबाब पेश ना कर बहस करना चाहते है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थीगण के द्वारा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86 की कुल 7.0840हैक्ट अप्रार्थीगण के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में से बिना अनुमति के पेड काट कर बेचान कर दिये गये है मौक पर जांच करने पर पेड काटने के निशान पाये गये है अतः अप्रार्थीगण ने बिना अनुमति के हरे वृक्षों को काटा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 की अवहेलना की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की उसके द्वारा पेडो की छगाई की गई है तथा छागाई की गई एवं सुखे पेडों को जो गिरने की स्थिति में थे को हटाया गया है अप्रार्थी अनपढ किसान है जिसे यह ज्ञान नही था कि सुखे पडों को काटने की भी अनुमति ली जानी है अप्रार्थी ने अपनी खेती में होने वाले नुकसान से बचने के लिये सुख पेडो को काटा गया है हरे पडों को नही काटा गया है तथा सुखे पडो के स्थान पर नये पेडों को लगा भी दिया गया है।

इसप्रकार प्रार्थी ने जानबुझ कर किसी नियम की अवहेलना नही की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86 की कुल 7.0840हैक्ट अप्रार्थी की मुश्तरका खातेदारी भूमि है जिसमें पेड खडे होना अप्रार्थी स्वीकार करता है।

पेरोकार राज का कथन यहा तक तो साबित होता है कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पेड खडे थे जिन्हे काटा गया है।

अप्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में खडे सुखे पेडों को काटा गया है जो उसकी भूमि को नुकसान पहुचा रहे थे एव कभी भी गिर सकते थे जिससे अप्रार्थी को भारी नुकसान हो सकता था इसलिये काटा गया है।

अप्रार्थी के द्वारा भी पेड काटे गये है चाहे वह अपने खेत की सुरक्षा के लिये काटे गये हो पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पेड काटने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक थी अर्थात राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 86 की अवहेलना तो अप्रार्थी के द्वारा की गई है

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह भविष्य में पेडों (हरे या सुखे) को काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करे एवं बिना अनुमति पेड काटने के लिये 100/— रू शास्ति से दण्डित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार नोहर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि शास्ति राशि का राजस्व लेखों में अंकन किया जाकर अप्रार्थीगण से वसूल किया जाना सुनिश्चित करे ।

व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 2/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 01 / 2020 अनवानी सकरार बनाम कृष्ण कुमार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार रामकुमार, मोमनराम, घडसीराम पि0 कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर
2. दुनीराम ओमप्रकाश सुखराम पि0 हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 01 / 2020 अनवानी सरकार बनाम कृष्ण कुमार में दिनांक 2/5/22 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थी को शास्ती से दण्डित किया गया है निर्णय अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे।

सलग्न :– निर्णय प्रति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner